संख्या- 22/2026/121/003-1782549 आगरा मेट्रो लोन

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0,
लखनऊ, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2026

विषय:-आगरा मेट्रो परियोजना हेतु यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से प्राप्त वाह्य ऋणों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक(वित्त), उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक- UPMRC/Finance/EIB Loan Repayment/Vol-I/5283, दिनांक 24.12.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त वाह्य ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्रावधानित धनराशि रू0 59.00 करोड़ के सापेक्ष आगरा मेट्रो के लिए वाह्य ऋणों के भुगतान हेतु तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 21.46 करोड़ (रूपये इक्कीस करोड़ छियालीस लाख मात्र) आहरित कर उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 को वाह्य ऋणों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी जा रही धनराशि ब्याज मुक्त होगी । वाहृय ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात् आगामी 20 वर्षो में समान वार्षिक किश्तों में यू0 पी0 मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 राज्य सरकार को अदायगी समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वितीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डेर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किए जाने के सम्बंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा भविष्य में ऋणों की अदायगी अपने स्रोतों से वहन की जायेगी।

http://shasan

(8) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 21,46,00,000 (रूपये इक्कीस करोड़ छियालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 002 लेखा शीर्षक 6217601900404 आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त वाह्य ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु मानक मद 30 निवेश/ऋण के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-809-X-2025-26-दिनांकः 30-1-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या- **22**/2026/121(1)/003-1782549 आगरा मेट्रो लोन, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज को अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।

2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज को अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।

3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ/आगरा।

4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 **ddoawash@gmail.com** पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**8**/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-**1** एवं **2** ।

9. नियोजन अनुभाग-**4**।

10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था/उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।